न्यायालय, सत्र न्यायाधीश, रामपुर।

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–182/2026

CNR No.UPRP010014432026

(पंजीयन सं० 322/2026)

तालिब पुत्र शाहिद, निवासी ग्राम मिलक मिर्जा फय्याज, थाना भोट, जिला रामपुर, उ०प्र०।

बनाम

राज्य उत्तर प्रदेश

धारा–69 बी०एन०एस०
थाना–भोट, जिला रामपुर।
अ०सं० 11/2026

आदेश

अभियुक्त/प्रार्थी तालिब की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र शपथकर्ता राशिद ने इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया है कि अभियुक्त/प्रार्थी का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अतिरिक्त कोई जमानत प्रार्थना पत्र अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही विचाराधीन है।

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त/प्रार्थी की ओर से इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी को मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त बनाया गया है। अभियुक्त/प्रार्थी दिनांक 18–02–2026 से जिला कारागार, रामपुर में निरूद्ध है। अभियुक्त/प्रार्थी द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। अभियुक्त /प्रार्थी को गाँव की पार्टीबन्दी व रंजिश के कारण झूठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट देरी से पंजीकृत करायी गयी है और देरी का कोई कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। कथित घटना का कोई स्वतन्त्र साक्षी नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों के आधार पर अभियुक्त/प्रार्थी के विरूद्ध धारा–69 बी०एन०एस० का अपराध नहीं बनता है। मुकदमा उपरोक्त की कथित पीड़िता बालिग है। अभियुक्त/प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः अभियुक्त/प्रार्थी को जमानत पर रिहा किया जाए।

अभियुक्त/प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि वह निर्दोष है। उसे रंजिशन झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त/प्रार्थी ने अभियोजित अपराध नहीं किया है। अभियुक्त/प्रार्थी ने पीड़िता के साथ शादी करने का झांसा देकर कोई शारीरिक सम्बन्ध स्थापित नहीं किये गये है। कथित पीड़िता अभियुक्त/प्रार्थी के साथ शादी करने की इच्छा रखती थी, इन्कार करने पर झूठा अभियोग पंजीकृत कराया गया है। उनका तर्क है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना का दिनांक, समय व स्थान का उल्लेख नहीं है। उनका तर्क है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध कोई अभियोग नहीं बनता है। कथित पीड़िता पूर्णतः बालिग है। प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं पीड़िता के विवेचनागत कथनों में पांच वर्ष तक अभियुक्त/प्रार्थी द्वारा बुलाये

Digitally signed by BHANU DEO SHARMA
Date: 2026.03.12 19:27:03 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

जाने पर पीड़िता का उन स्थानों पर पहुँचना और पांच वर्ष में केवल 3–4 बार शारीरिक सम्बन्ध स्थापित किये जोन का तथ्य पूर्णः अविश्वसनीय है। उनका तर्क है कि पीड़िता को निरन्तर पांच वर्ष तक शादी के वचन के आधार पर भ्रम में नहीं रखा जा सकता। उनका तर्क है कि वास्तव में पीड़िता बालिग है और अभियुक्त/प्रार्थी के साथ विवाह/निकाह करने की इच्छा रखती है,इन्कारी पर उपरोक्त अभियोग पंजीकृत कराया गया है। उनका तर्क है कि कथित पीड़िता ने पांच वर्ष की अवधि में 3–4 बार शारीरिक सम्बन्ध स्थापित करने का कोई दिनांक,समय व स्थान का उल्लेख नहीं है। अतः अभियुक्त/प्रार्थी को जमानत पर रिहा किया जाए।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक) एवं वादिनी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता श्री मुजफ्फर अली ने संयुक्त रूप से उपरोक्त तर्को का विरोध किया और यह तर्क प्रस्तुत किया कि अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ विवाह करने का वचन देने के आधार पर शारीरिक सम्बन्ध स्थापित किये गये है। उनका तर्क है कि पीड़िता ने अपने कथन अन्तर्गत धारा–180 व धारा–183 बी०एन०एस०एस० में घटना का समर्थन किया है। उनका तर्क है कि अभियुक्त/प्रार्थी की ओर से पीड़िता के साथ विवाह न करने का आशय रखते हुए शारीरिक सम्बन्ध स्थापित किये गये है। उनका तर्क है कि घटना की दिनांक को पीड़िता अभियुक्त/प्रार्थी के साथ भाग जाने के प्रयास में पकड़ी गई थी,जबकि अभियुक्त/प्रार्थी मौके से भाग गया था। इसके उपरान्त उपरोक्त अभियोग पंजीकृत हुआ है।

उभय पक्षों के तर्कों को सुना एवं अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

संक्षेप में अभियोजन कथानक वादिया/पीड़िता शाहीन की ओर से दिनांक 15–02–2026 को इस आशय से पंजीकृत करायी गई प्रथम सूचना रिपोर्ट पर प्रारम्भ हुआ कि वादिनी मुकदमा के मकान स्थित ग्राम मिलक मिर्जा फय्याज पर ग्राम के ही तालिब पुत्र शाहिद का आना था। पिछले पांच वर्ष से अभियुक्त वादिनी मुकदमा के साथ बलात्कार कर रहा है था। वादिनी मुकदमा को शादी का झांसा देकर उसके बार–बार एक ही बात कहता था कि वे दोनों शादी कर लेगे,नहीं तो घर से भाग जाएगे। जब वादिनी मुकदमा ने तालिब से कहा कि उसके घर वालों से बात करो,तो उसने कहा कि कर लेगे,फिर भी उसके मना करने पर भी तालिब बार–बार अलग स्थान पर बुलाकर उसके साथ बार–बार शारीरिक सम्बन्ध में बनाता था। तालिब ने वादिनी मुकदमा को दिनांक 14–02–2026 को बुलाकर कहा कि वे दोनों कहीं भाग जाते है। जब उन दोनों को उनके मुहल्ले के लोगों ने देखा,तब वादिया को ही उसके घर वालों ने उसे पकड़ लिया और तालिब मौके से भाग गया।

कथित पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा–180 व धारा–183 बी०एन०एस० एस० में दिनांक 14–02–2026 को अभियुक्त/प्रार्थी की ओर से पीड़िता के साथ शीरीरिक सम्बन्ध स्थापित किये जाने के तथ्य पर तात्विक विरोधाभास है। कथित पीड़िता की ओर से अभियुक्त/प्रार्थी द्वारा निरन्तर पांच वर्ष तक शारीरिक सम्बन्ध स्थापित किये जाने के स्थान व समय के तथ्य का कोई प्रकटीकरण सम्पूर्ण विवेचना में नहीं हुआ है। पीड़ित की ओर से अपने विवेचनागत कथनों में अभियुक्त/प्रार्थी के

बुलाये जाने पर स्वंय पीड़िता के पहुँचने के तथ्य का साक्ष्य दौरान विवेचना संकलित हुआ है। अभियुक्त/प्रार्थी की ओर से शारीरिक सम्बन्ध स्थापित किये जाने हेतु दिये गये विवाह/निकाह के वचन का प्रवंचनापूर्ण या भ्रम कारक होने के तथ्य पर साक्ष्य प्रकट नहीं है। अभियुक्त/प्रार्थी द्वारा अपनी पहचान छुपाने के तथ्य पर भी कोई साक्ष्य दौरान विवेचना प्रकट नहीं हुआ है। प्रथम सूचना रपट देरी से पंजीकृत कराया जाना प्रकट है। अभियुक्त/ प्रार्थी की पूर्व दोषसिद्धि का तथ्य अभियोजन की ओर से प्रकट नहीं किया गया है।

अतः मामले के समस्त तथ्य,परिस्थितियों एवं दौरान अन्वेषण विवेचना में संकलित साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त/प्रार्थी का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

तदनुसार अभियुक्त/प्रार्थी का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अभियुक्त/प्रार्थी को रू.1,00,000/–का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान राशि के दो प्रतिभू–पत्र सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की सन्तुष्टि पर दाखिल किए जाने पर, जमानत पर रिहा किया जाता है।

दिनांक 12–03–2026

(भानु देव शर्मा)
सत्र न्यायाधीश,
रामपुर।
J.O.Code–UP 6545